हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की वित्त समिति की दिनांक 16/04/2010 को सम्पन्न 57वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नोक्त सदस्य उपस्थित हुये :

1.	सुश्री वृन्दा सरूप प्रमुख सचिव व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ एवं अध्यक्ष, वित्त समिति, एच0बी0टी0आई0, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री रंजन मिश्र उपसचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य
3.	श्री के0एम0 गुप्ता प्रतिनिधि–निदेशक प्राविधिक शिक्षा, (उ0प्र0) कानपुर।	सदस्य
4.	प्रो0आर0के0 खितौलिया निदेशक एच0बी0टी0आई0 कानपुर।	सदस्य–सचिव

बैठक में निम्नोक्त सदस्य उपस्थित नहीं हो सके :

1.	प्रो0एस0जी0 धान्डे निदेशक आई0आई0टी0 कानपुर।	सदस्य

क्रमशः.........2

57.01 <u>वित्त समिति की दिनांक 19.01.2010 को सम्पन्न हुई 56वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।</u>

समिति ने दिनांक 19.01.2010 को अपरान्ह 3 बजे सम्पन्न 56वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

57.02 <u>वित्त समिति की दिनांक 19.01.2010 के सम्पन्न हुई 56वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण ।</u>

समिति ने दिनांक 19.01.2010 को सम्पन्न 56वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का अवलोकन किया ।

57.03 <u>वित्तीय वर्ष 2009–10 के वास्तविक एवं वर्ष 2010–11 के अनुमानित आय–व्ययक पर विचार ।</u>

समिति ने वर्ष 2009–10 के लिये अनुमोदित बजट रू0 1614.66 लाख के विरूद्ध किये गये वास्तविक व्यय रू0 1465.86 लाख का अवलोकन किया तथा वर्ष 2009–10 में अनुमोदित ई–जर्नल्स एवं पश्चिमी प्रॉगण स्थित नव निर्मित 400 छात्र क्षमता छात्रावास से डब्लू सी.एच. के बीच पुलिया तथा सड़क निर्माण का कार्य 30 जून तक अवश्य पूर्ण कर लिये जाने हेतु निर्देशित किया । वर्ष 2010–11 के लिये प्रस्तुत अनुमानित आय–व्ययक का मदवार अवलोकन कर रू0 2048.79 लाख के व्यय प्रस्ताव पर अनुमादन प्रदान किया। उपरोक्त अनुमोदित व्यय प्रस्तावों की प्रतिपूर्ति शासन से फ्रीज बजट रू0 490.59 लाख के विरूद्ध मिलने वाला अनुदान रू0 418.59 लाख संस्थान से प्राप्त फीस अन्य मदों से प्राप्त आय रू0 1188.29 लाख एवं वर्ष 2009–10 की बचत रू0 443.72 लाख को सम्मिलित करते हुये व्यय किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया मदवार विवरण निम्नलिखित है –

क्रमशः.........3

क्र0 सं0	मद	वित्तीय वर्ष 2009–10 में वित्त समिति द्वारा अनुमोदित बजट	वित्तीय वर्ष 2009–10 वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष 2010–11 का अनुमानित बजट
1	वेतन भत्ते			
	(अ) शिक्षक			
	(क) वेतन	244.43	219.10	610-93
	(ख) महगाई वेतन	122.22	90.86	--
	(ग) महगाई भत्ता	172.32	144.25	213-83
	(घ) अन्य भत्ते	15.31	7.02	28-60
	(ब) प्रशासन			
	(क) वेतन	47.45	44.88	50-68
	(ख) महगाई वेतन	1.25	1.25	--
	(ग) महगाई भत्ता	11.42	10.46	19.19
	(घ) अन्य भत्ते	6.23	3.69	8.98
	(स) शिक्षणेत्तर कर्मचारी			
	(क) वेतन	299.82	292.58	293.64
	(ख) महगाई भत्ता	65.68	61.54	102.32
	(ग) अन्य भत्ते	27.67	22.86	31.41
	(घ) एरियर	64.82	64.57	64.82
	योग (अ+ब+स)	1078.62	963.06	1424.40
2	यात्रा व्यय	2.00	1.36	2.00
3	कार्यालय व्यय	17.25	12.48	59-36
4	टेलीफोन व्यय	3.00	2.75	3-50
5	गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	3.00	2.91	3.00
6	व्यवसायिक एवं विधिक सेवाओं के लिए भुगतान	3.50	2.62	3.50
7	विज्ञापन	15.00	13.85	15.00
8	छात्रवृत्ति	6.00	5.50	6.00
9	किराया उपशुल्क तथा कर स्वामित्व	14.00	3.49	15.00
10	भवनों / सड़कों / पुलिया निर्माण / 33 / 11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के संचालन एवं मशीनों आदि का रखरखाव	113.62	107.89	104-53
11	डिपार्टमेन्टल आपरेटिंग कास्ट आदि का रखरखाव			
	(क) विभागीय व्यय	15.00	11.63	25.00
	(ख) विद्युत व्यय	70.00	70.00	85.00
12	विभागीय शैक्षिक व्यय	5.00	1.91	6-50

क्रमशः...........4

13	स्पोर्टस् गेम्स एण्ड अदर एक्टीविटीज / छात्र कियाकलाप	12.00	12.00	15.00
14	चिकित्सालय	5.00	4.30	7.00
15	पुस्तकालय / ई–जर्नल्स	68.67	68.37	28.50
16	आडिट फीस	15.00	15.00	20.00
17	चयन समिति के विशेषज्ञों तथा बोर्ड आफ स्ट्डीज के मा0 सदस्यों का मानदेय	1.00	1.00	1.50
18	सुरक्षा गार्ड व्यवस्था	20.00	17.67	20.00
19	सेवायोजन एवं सम्बन्धित सेवायें	1.00	-	1.00
20	शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	4.00	2.73	4.00
21	इन्टरनेट	12.00	9.84	40.00
22	छात्रावास के संचालन, रखरखाव, सुरक्षा एवं विद्युत व्यय इत्यादि।	85.00	85.00	120.00
23	परीक्षा संचालन	45.00	45.00	49.00
योग		**1614.66**	**1460.36**	**2048.79**
	शासनादेशसंख्या–1661 / 2009–सोलह–1–9 (बजट–8) / 99 दि0 08.09.2009 के द्वारा आयोजनागत हेतु रु0 35.50 लाख के विरुद्व अवमुक्त अनुदान रु0 30.00 लाख को घटाने के उपरान्त रु0 5.50 लाख संस्थान की आय / बचतों से वहन करने हेतु।	-	5.50	-
	शासन से प्राप्त अनुदान (-)		418.59	418.59
	संस्थान की प्राप्तियाँ (-)		1132.99	1188.29
	पूर्व वर्ष 2008–09 की बचत (-)		358.00	443.72
	कुल बचत		**443.72**	**1.81**

57.04 <u>भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में वर्ष 2009–10 के वास्तविक एवं वर्ष 2010–11 में अनुमानित आय–व्ययक का विवरण ।</u>

समिति ने भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हेतु प्रस्तुत आय–व्ययक का अवलोकन करने के साथ आर्ब्जव किया कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही कर भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करना चाहिए ।

कमशः..........5

57.05 **बाह्य संगठनों द्वारा वित्त पोषित विभिन्न शोध एवं अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत आय–व्यय का विवरण ।**

समिति ने बाह्य संगठनों द्वारा वित्त पोषित विभिन्न शोध एवं अन्य परियोजनाओं के लिये प्राप्त अनुदान एवं उसके विरूद्ध किये गये व्यय का अवलोकन करने के साथ निर्देशित किया कि परियोजनाओं की तालिका के कालम नं0 4 पर परियोजना की समाप्ति अवधि अंकित करने एवं परियोजना को निर्धारित समय सीमाके अन्तर्गत समाप्त करने हेतु समय समय पर निदेशक स्तर से मॉनिटरिंग की जाये। समिति ने यह भी निर्देशित किया कि नयी परियोजनाये लाने हेतु शिक्षकों को प्रेरित करना चाहिए ।

57.06 **शासनादेश सं0 1437/प्रा0शि0–1–1992 दिनांक 08.04.1992 के बिन्दुओं पर कमवार विवरण –**

समिति ने प्रस्तुत विवरण का अवलोकन किया तथा निर्देशित किया कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उ0 प्र0 इलाहाबाद की प्राप्त सम्परीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालन आख्या तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर प्रेषित करें । संस्थान लेखों की सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उ0 प्र0 एवं महालेखाकार (आडिट) इलाहाबाद द्वारा की जा रही है। उक्त सम्परीक्षाओं के अतिरिक्त वर्ष 2009–10 के लेखो की सम्परीक्षा चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा जून 2010 तक सुनिश्चित कराने एवं संस्था में नई परियोजनाये लाने हेतु शिक्षकों को प्रेरित करने हेतु निर्देशित किया ।

57.07 **संस्थान में कार्यरत अधिकारियों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अर्जित अवकाश का आगणन राज्य सरकार के सेवको की भॅाति लागू करने पर विचार।**

समिति ने प्रस्तुत प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त निर्देशत किया कि संस्थान सोसाइटी की बैठक कर संस्थान में लागू अवकाश गणना नियमों में परिवर्तन करा कर अगली बैठक में प्रस्तुत करें ।

57.08 **<u>संस्थान के अध्ययनरत शोध छात्रों को सी.एस.आई. आर.,यू.जी.सी., सी.एस.टी. एवं ए. आई.सी.टी.ई. के आधार पर छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।</u>**

समिति ने पस्तुत प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त निदेर्शित किया कि संस्था में अध्ययनरत शोध छात्रों को जे0आर0एफ0/एस0आर0एफ0 प्राप्त करने के लिये प्रेरित करें तथा संस्था भी अपने स्तर से अर्ह छात्रों को अन्य एजेन्सियों से छात्रवृत्ति हेतु प्रयास करें। समिति ने रू0 250/– प्रतिमाह शोध छात्रवृति को यथावत रखा ।

57.09 <u>अप्रवासी भारतीय छात्रों से प्राप्त शुल्क को संस्थान के अवस्थापना एवं विकास हेतु प्रस्ताव पर विचार ।</u>

समिति ने प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया कि वर्ष 2010–11 में प्राप्त शुल्क से अनुमानित आय की गणना 2009–10 में प्रवेशित छात्रों की औसत प्रवेश क्षमता के आधार पर की जाय । जिसक आधार पर वर्ष 2010–11 में संभावित प्रवेशित छात्र कमशः 18, 25, 20, एवं 14 कुल 77 छात्रों से प्राप्त शुल्क रू0 182.49 लाख के सापेक्ष रू0 90.99 लाख के व्यय हेतु अनुमोदन प्रदान किया तथा निर्देशित किया कि अगली बैठक में अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के स्थान पर व्याख्यात्मक टिप्पणी में शामिल किया जाये ।

57.10 <u>संस्थान के आयोजनागत आय–व्यय पर विचार।</u>

समिति ने वर्ष 2010–11 के लिए योजनागत मद में प्रस्तुत रु0 80.20 लाख के प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान करने के साथ ही प्राथमिकता के आधार पर "तैल एवं प्रलेप" विभाग की प्रयोगशालाओं के रिनोवेशन एवं शिक्षक कक्षों के निर्माण के कार्य पर अनुमोदन प्रदान किया।

57.11 <u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य मद पर विचार।</u>

बैठक अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

(आर0के0 खितौलिया)	(रंजन मिश्र)	(वृन्दा सरूप)
सदस्य–सचिव	सदस्य	अध्यक्ष